

संशोधित डिक्री
(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

बलविन्द्रसिंह आत्मज श्री स्वर्णसिंह, जटसिख, चक 32 जी.जी. तहसील व जिला
श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. स्वर्णसिंह आत्मज श्री मोहनसिंह, जटसिख, चक 32 जी.जी.,
2. जसवन्तसिंह एवं
3. रणजीतसिंह आत्मजन श्री स्वर्णसिंह, जटसिख, चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. श्रीमती पलविन्द्रकौर एवं
5. श्रीमती रविन्द्रकौर आत्मजा श्री स्वर्णसिंह, चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 66/2018

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री अनिल जोशी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी-6) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि -

वादी श्री बलविन्द्रसिंह आत्मज श्री स्वर्णसिंह को - चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/41 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 16(0.228), किला नम्बर 17 से 19(0.759), किला नम्बर 23(0.228), किला नम्बर 24(0.228), किला नम्बर 25(0.202) कुल 1.645 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री स्वर्णसिंह आत्मज श्री मोहनसिंह को - चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/41 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1(0.253), किला नम्बर 10(0.253), किला नम्बर 11(0.253), किला नम्बर 20(0.253), किला नम्बर 21 से 22 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 1.468 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 श्री जसवन्तसिंह आत्मज श्री स्वर्णसिंह को - चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/41 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 6(0.228), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 12 से 14(0.759), किला नम्बर 15(0.228) कुल 1.468 हैक्टर कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्री रणजीतसिंह आत्मज श्री स्वर्णसिंह को - चक 32 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/41 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 2 से 4(0.759), किला नम्बर 5(0.228), किला नम्बर 8(0.253), किला नम्बर 9(0.253) कुल 1.493 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने अधिकारों का परित्याग किया गया है इसलिये परित्याग विलेख पर लागू स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने पर ही निर्णय की क्रियान्विती की जा सकेगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते...शून्य.....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य...
....दर वार्षिक ...शून्य.....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

कार्यालय श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00

7/6/18
सहायक कलक्टर एवं
कार्यालय तहसीलदार

वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00



A)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रक) श्रीगंगानगर